न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
104 / 2015 / प्रा.पत्र / 2015	01.12.2015	22.07.2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1–खाद्य कारोबारकर्ता श्री चन्द्रप्रकाश जैन पुत्र श्री मूलचन्द जैन जाति महाजन निवासी बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोंक मैसर्स मंगल किराणा स्टोर बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोंक
2–मैसर्स मंगल किराणा स्टोर बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोंक
3–श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री चिरन्जी लाल जैन प्रोपरायटर मैसर्स चिरन्जीलाल अशोक कुमार बडा कुंआ जवाहर बाजार टोंक
4– मैसर्स चिरन्जीलाल अशोक कुमार बडा कुंआ जवाहर बाजार टोंक
5–श्री सेवाती लाल अग्रवाल नॉमिनी मैसर्स बुन्गे इण्डिया प्रा. लिमिटेड मेन पटियाला–चण्डीगढ रोड, राजपुरा
6– मैसर्स बुन्गे इण्डिया प्रा. लिमिटेड मेन पटियाला–चण्डीगढ रोड, राजपुरा

..... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार उप.।
2–अप्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित ।

:–निर्णय–: दिनांक 22.07.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.06.2015 को समय 03:30 पीएम पर मैसर्स मंगल किराणा स्टोर बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ पर श्री चन्द्रप्रकाश जैन पुत्र श्री मूलचन्द जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री चन्द्रप्रकाश जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया एवं खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र नहीं होना स्वीकार किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान की रैक में **सोयाबीन रिफाईण्ड तेल (गगन ब्राण्ड)** की एक लीटर पैक की 20 बोतलें रखी हुई थी जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री चन्द्रप्रकाश जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर. एफ. बी.ओ को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री चन्द्रप्रकाश जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **सोयाबीन रिफाईण्ड तेल (गगन ब्राण्ड)**, जिसके बैच नम्बर बी.आर.ओ. 90415 एस.एस.बी एवं पैकिंग की दिनांक अप्रैल 2015 थी, को वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, एक लीटर पैक की चार बोतल खरीदी जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **सोयाबीन रिफाईण्ड तेल (गगन ब्राण्ड)** 4 बोतल प्रत्येक एक लीटर पैक को एक–एक बोतल के बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1040 एवं पूर्ण विवरण अकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता श्री चन्द्रप्रकाश जैन तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1040 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

मौके पर श्री चन्द्रप्रकाश जैन पुत्र श्री मूलचन्द जैन मैसर्स मंगल किराणा स्टोर बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोंक ने मैसर्स चिरन्जीलाल अशोक कुमार बडा कुंआ जवाहर बाजार टोंक का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक ने मैसर्स चिरन्जीलाल अशोक कुमार बडा कुंआ जवाहर बाजार टोंक को फार्म नं. 5 व आवश्यक दस्तावेज मंगवाने बाबत् पत्र प्रेषित किया जिस पर उक्त फर्म के प्रोपरायटर श्री अशोक कुमार जैन ने पत्र प्रेषित कर बतौर वारन्टी व निर्माता मैसर्स बुन्गे इण्डिया प्रा. लिमिटेड मेन पटियाला–चण्डीगढ रोड, राजपुरा का वारंटी बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। आवेदक द्वारा मैसर्स बुन्गे इण्डिया प्रा. लिमिटेड मेन पटियाला–चण्डीगढ रोड, राजपुरा को पत्र प्रेषित कर आवश्यक दस्तावेज चाहे जाने के उपरान्त नॉमिनी श्री सेवाती लाल अग्रवाल ने खाद्य अनुज्ञा पत्र, फार्म नं. 9 कम्पनी रिजोलेशन एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त फर्म का नॉमिनी श्री सेवाती लाल अग्रवाल होना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./15/3036 दिनांक 27.08.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट स. एल.एस./480/एक्ट/2015/480 दिनांक 24.07.2015 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया गया **सोयाबीन रिफाईण्ड तेल (गगन ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(i)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का होना

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता/फर्म के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की ओर से श्री विक्रम जैन एडवोकेट ने व अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से श्री राधेश्याम धाकड़ एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा परन्तु कई अवसर देने के बावजूद भी अभिभाषक द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। और ना ही अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित हुआ। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **सोयाबीन रिफाईण्ड तेल (गगन ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **सोयाबीन रिफाईण्ड तेल (गगन ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 1,20,000/–(अक्षरे एक लाख बीस हजार रू0), अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 1,80,000/–(अक्षरे एक लाख अस्सी हजार रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 5 व 6 पर कुल शास्ति रूपये 3,00,000/– (अक्षरे तीन लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 22.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज 22.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(पुरशुराम धानका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0